

सहोदय

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में संशोधित नाम का उल्लेख किया है जो कि  
सही है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार निर्धारित नाम सुझाव पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना  
पत्र सुवर्णाधिकार का है। रिपोर्ट वेक है।

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई। प्रार्थना पत्र पर सुझाव का उल्लेख किया गया

19-8-19 'अज्ञात' जे. गौड़ / लाल मिश्र पति।  
पहावली काँवट पि 24-9-19

उपस्थान्त अधिकारी  
मनोहरबाग, जिला प्रतापगढ़

24-9-19 पहावली पेशर ड्रा। वकील कापी शकलवादी द्वारा  
प्रा. पत्र में गोट डेत का शक पहावली में को भी मने  
वादी नही-काँवट है।

अतः पहावली को वकील कापी डेटा गोट डेत मने  
शे पहावली की मने वादी द्वारा कि जारी हो पहावली  
मेसज सुपाट हेक नवसेकम है।

उपस्थान्त अधिकारी  
मनोहरबाग, जिला प्रतापगढ़

mejn  
m